

सरकार्ज माफी योजना-2022

चर्चा में क्यों?

31 अगस्त, 2022 को उत्तर हरियाणा बजिली वतिरण नगिम के प्रबंध नदिशक डॉ. साकेत कुमार ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा बजिली के बकाया बलियों की समस्या के समाधान के लिये सरकार्ज माफी योजना-2022 शुरू की गई है।

प्रमुख बदि

- इस योजना का लाभ शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे उपभोक्ता उठा सकते हैं, जिनका बलि 31 दिसंबर, 2021 तक बकाया था तथा अब तक भी बलि बकाया है। यह योजना **Connected and Disconnected** दोनों तरह के उपभोक्ताओं के लिये है।
- डॉ. साकेत कुमार ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत घरेलू (शहरी तथा ग्रामीण) कृषि उपभोक्ता और सरकारी, ग्राम पंचायत तथा नगर नगिम से संबंधित बजिली के कनेक्शन का अब तक का पूरण सरकार्ज फ्रीज कर दिया जाएगा तथा उन्हें केवल अब तक की मूल राशा का भुगतान करना होगा।
- उपभोक्ता मूल राशा एकमुश्त अथवा अगले तीन बलियों के साथ भी जमा करवा सकता है। एकमुश्त जमा करवाने पर उपभोक्ताओं को मूल राशा पर 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी।
- उन्होंने बताया कि फ्रीज कथिा गया सरकार्ज अगले 6 बलियों की लगातार अदायगी के अनुपात में माफ कर दिया जाएगा। अगर उपभोक्ता अपनी मूल राशा एकमुश्त या निर्धारित कसितों में जमा नहीं करवाता और आगामी 6 बलि लगातार जमा नहीं करवाता तो उसका फ्रीज कथिा गया सरकार्ज वापस बलि में जोड़ दिया जाएगा और उपभोक्ता को स्कीम से बाहर कर दिया जाएगा।
- इस योजना का लाभ सभी श्रेणी के उपभोक्ता उठा सकते हैं। ऐसे उपभोक्ताओं की बकाया मूल राशा पर लगने वाले सरकार्ज की पुनर्गणना की जाएगी व वर्तमान ब्याज की दर 5 प्रतिशत मासिक की बजाय साधारण 10 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।
- सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के बने गलत बलि वभिाग की शर्तों के अनुसार ठीक कथिा जाएंगे। ऐसे उपभोक्ता, जिनका कोई केस न्यायालय में वचिाराधीन है, वो भी इस योजना को अपना सकते हैं। बशर्तें उनको अपना केस न्यायालय से वापस लेना पड़ेगा।
- इस योजना का लाभ उठाने का अवसर राज्य के लगभग 2240985 उपभोक्ताओं को मलिगा, जिनमें 24479 सरकारी उपभोक्ता भी शामिल हैं तथा वभिाग का लगभग 1834 करोड़ रुपए का ब्याज माफ कथिा जा सकता है। यह योजना 30 नवंबर, 2022 तक जारी रहेगी।